

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्देश

1. समस्त अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित समय एवं तिथि के अनुसार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के मुख्यालय, जयपुर के सभा कक्ष में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे।
2. अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर संबंधी), आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र साथ लावें।
3. अभ्यर्थी अपने नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफोर्मा में कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में प्रस्तुत करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थी कार्मिक (क-2) के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 की आवश्यकता अनुसार पूर्ति करवायें।
4. अभ्यर्थियों को अपने स्वास्थ्य की जांच प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से करवाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है।
5. पुलिस सत्यापन के पश्चात् ही अभ्यर्थी की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। (आचरण पुलिस सत्यापन में यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी)। अतः पुलिस सत्यापन प्रपत्र साथ में लेकर आए।
6. यदि किसी अभ्यर्थी की उनको पूर्व में आवंटित विभाग द्वारा जांच करवा ली गयी है तथा जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत है तो उनको पुनः पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। कृपया ऐसे अभ्यर्थी उचित रीति से विभाग को विवरण के साथ सूचित करवायें।
7. ओ.बी.सी. वर्ग का प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एवं यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमी लेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, अभ्यर्थी अपने पिता की आक के आधार पर पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा।
9. अभ्यर्थी अपने साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति जमा करवाये जाने हेतु साथ लाये।
10. अभ्यर्थी ~~संलग्न~~ निर्धारित प्रोफोर्मा में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
11. उक्त कार्यवाही के संबंध में कोई टी.ए. एवं डी.ए. अभ्यर्थियों को देय नहीं है।

(शिप्रा विक्रम)

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रम सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम	जन्मतिथि
बुधवार, दिनांक 20.02.2019 10:00 AM				
1.	4182	430320	चन्द प्रकाश चौधरी	16.04.1990
2.	4337	259759	नेहा पारीक	22.04.1992
3.	2	505661	निर्मल शर्मा	28.03.1992
4.	29	458786	स्वरूप व्यास	10.08.1985
5.	32	431353	मनोज कुमार शर्मा	20.01.1990
6.	52	125161	निर्देश शर्मा	12.10.1983
7.	64	528487	गोविन्द प्रसाद शर्मा	26.05.1993
8.	86	518312	राहुल गंगावत	08.05.1992
9.	98	904765	भुवनेश सिंह सिकरवार	18.08.1986
10.	115	124187	शाहिद सिद्दीकी	01.04.1989
11.	156	232309	रामस्वरूप शर्मा	05.07.1994
12.	162	547575	शिवजी कुमार शर्मा	10.08.1994
13.	165	853080	जनक सिंह चौहान	12.08.1992
14.	198	747110	धर्मवीर सिंह	21.07.1990
15.	208	582533	कमल कुमार	20.11.1989
16.	236	407783	कुलदीप सिंह	15.06.1994
17.	270	389364	मनीष कुमार सिंह	08.07.1981
18.	298	365612	उमा शंकर शर्मा	18.04.1989
19.	350	106328	मोहित कटारा	22.01.1994
20.	355	436176	गजेन्द्र सिंह राठौड़	07.01.1992
21.	388	521059	रविकांत शर्मा	16.10.1989
22.	438	336952	जुझार सिंह	11.07.1993
23.	579	673511	गिरीश कुमार खण्डेलवाल	25.06.1985
24.	596	138538	अमित कुमार शर्मा	07.04.1989
25.	614	263775	अमित कुमार पाराशर	30.09.1988
बुधवार, दिनांक 20.02.2019 02:00 PM				
26.	631	853928	दीपक पुरोहित	07.07.1995
27.	669	773151	रमेश कुमार	28.10.1991
28.	675	856581	भारत भूषण मिश्रा	19.06.1981
29.	698	157703	देवेन्द्र कुमार शर्मा	26.06.1989
30.	748	858755	विकास माकड़	02.04.1993
31.	753	221846	जगदीश प्रसाद यादव	30.07.1993
32.	771	451527	गोपी चन्द प्रजापत	15.09.1994
33.	792	759836	जितेन्द्र टाक	15.11.1989
34.	828	402342	माला राम	10.08.1993
35.	905	768665	प्रकाश चन्द	07.07.1993
36.	931	593957	महादाराम	09.07.1991
37.	943	889560	महावीर	17.01.1994
38.	975	479276	रुनेश कुमार स्वामी	11.09.1979
39.	2437	565911	रेखा	01.01.1993
40.	2461	877872	विजयलक्ष्मी विजयवर्गीय	23.02.1980
41.	805	585641	जोगाराम	03.06.1991
42.	824	314971	मेघराज	10.07.1993
43.	882	595745	अंबाराम	10.05.1994
44.	954	712395	रिफूल सिंह	03.05.1988
45.	973	129841	मनीष यादव	15.04.1994



(शिप्रा विक्रम)

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)

राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर